प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 10 अक्टूबर, 2007

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:रु0वि0/सम्ब0/2007/2668-69, दिनांक 28-06-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन विवेकानन्द महाविद्यालय, दरबाड़ा, बिजनौर को विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस-सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2007 से सम्बद्धता की सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-2964(1)/सत्तर-2-2007-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) प्रबन्धक, विवेकानन्द महाविद्यालय, दरबाड़ा, बिजनौर।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।